न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

———

प्रकरण कमांक निगरानी 1117–एक/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–06–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 05/2004–05.

———

वीरसिंह पुत्र सीताराम सिंह
निवासी – ग्राम हीरापुरा तहसील मेंहगाव
जिला – भिण्ड (म.प्र.) ——— आवेदक

विरूद्ध

कप्तान सिंह पुत्र गोपाल सिंह
निवासी ग्राम अकलोनी तहसील मेंहगांव
जिला भिण्ड (म.प्र.) ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।
अनावेदक ओर से अधिवक्ता श्री दीवाकर दीक्षित ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 02-06-2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 5/2004–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 9–6–2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कप्तानसिंह ने विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बंदोवस्त में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए संहिता की धारा 89 के तहत एक आवेदन पेश किया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 6–6–2003 द्वारा ग्राम हीरापुर स्थित

विवादित भूमि सर्वे नं. 625 रकबा .10 हैक्टर एवं आराजी नं. 626 रकबा .10 हैक्टरदर्ज करने संबंधी आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर के न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 10.2.04 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया गया । यह प्रकरण संहिता की धारा 89 के अंतर्गत बंदोवस्त में हई त्रुटि को सुधारने के संबंध में होकर अनुविभागीय अधिकारी ने स्थल का जांच प्रतिवेदन बुलाया जिसमें ए.एस. एल.आर. द्वारा पूर्व का एवं बाद के अभिलेखों का अवलोकन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । एस.डी.ओ. ने इस प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अपील में अपर आयुक्त ने अपील को निरस्त करते हुए एस.डी.ओ. के आदेश को स्थिर रखा है । द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 305 का उल्लेख करते हुए यह व्यक्त किया है कि तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष होने पर द्वितीय अपील हस्तक्षेप योग्य नहीं है और उन्होंने अपील को निरस्त किया है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर आवेदक द्वारा उक्त निर्णय क्योंकर विपर्यस्त हैं इसके संबंध में कोई पुष्टिकारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो । दर्शित स्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर